

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 67/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये श्री
अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक,
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री खमीशा खान पुत्र श्री भेरा खान जाति
तेली, निवासी ग्राम सनावड़ा, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन गिरी, अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 20.09.2024 को श्री अनिल कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर, श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, एवं श्री भारूराम, नायब तहसीलदार शिव के साथ प्रार्थी स्वयं ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स खमीशा खान, बाड़मेर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री खमीशा खान उपस्थित मिला। उक्त दुकान में घरेलु गैस सिलेण्डर ग्राहको का अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो छः घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल, बीपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-




जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	222839T	BPCL	29.700 Kg	15.500 Kg	14.200 Kg
2.	639735T	BPCL	29.800 Kg	15.600 Kg	14.200 Kg
3.	923815E	HPCL	29.900 Kg	15.700 Kg	14.200 Kg
4.	874012T	HPCL	29.700 Kg	15.500 Kg	14.200 Kg
5.	855269T	HPCL	30.000 Kg	15.800 Kg	14.200 Kg
6.	409333T	HPCL	31.700 Kg	17.500 Kg	14.200 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु उपयोग के छः गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स पिलानिया भारत गैस वितरक धोरीमन्ना के मैनेजर श्री विश्वेन्द्रसिंह पुत्र श्री रविन्द्रसिंह निवासी हाल धोरीमन्ना, बाड़मेर को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी टेम्पों चालक का कार्य करता है तथा अप्रार्थी का घर सनावड़ा गांव में आया हुआ है। गैस सिलेण्डर की सप्लाई करने वाला वाहन मेरे घर के आगे सड़क पर आकर सप्लाई करता है जिस कारण मेरा व मेरे रिश्तेदारों द्वारा अपने सिलेण्डर भरकर अपने-अपने घर पहुंचाने हेतु मेरे घर पर रखे गये थे। उक्त गैस कनेक्शन




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

उज्जवला गैस कनेक्शन के तहत महिलाओं के नाम से लिये गये है तथा उक्त सिलेण्डर जब्त करने से उक्त गैस कनेक्शन धारियों का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरुद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स मैसर्स पिलानिया भारत गैस वितरक धोरीमन्ना को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी टेम्पो चालक का कार्य करता है तथा अप्रार्थी का घर सनावड़ा गांव में आया हुआ है। गैस सिलेण्डर की सप्लाई करने वाला वाहन मेरे घर के आगे सड़क पर आकर सप्लाई करता है जिस कारण मेरा व मेरे रिश्तेदारों द्वारा अपने सिलेण्डर भरकर अपने-अपने घर पहुंचाने हेतु मेरे घर पर रखे गये थे। उक्त गैस कनेक्शन उज्जवला गैस कनेक्शन के तहत महिलाओं के नाम से लिये गये है तथा उक्त सिलेण्डर जब्त करने से उक्त गैस कनेक्शन धारियों का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरुद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी ने प्रार्थना -पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में जांच स्थल पर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर ग्राहको का अवैध रूप विक्रय किया जाना पाया गया था। जब मौके पर उक्त घरेलू सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था ?





जिला कलेक्टर
बाड़मेर

स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होना प्रकट किया है जबकि इस आशय का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित होने एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के अभाव में सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(सीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर